भारतीय स्टेट बैंक

शेयर एवं बॉन्ड विभाग, कॉरपोरेट केंद्र,
14वां तल, स्टेट बैंक भवन,
नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021. महाराष्ट्र
दूरभाष :022-22740841-6 / 22742403/22741431
वेबसाइट : https://bank.sbi
ई-मेल: investor.complaints@sbi.co.in

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों से अपील
भौतिक शेयरों को डीमेट प्रारूप में बदलना एवं डाटा अद्यतन करना

1. जोखिम से बचने के लिए अपने भौतिक शेयरों को डीमेट में बदले

यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हो तो, कृपया गुम होने/खराब होने/इधर-उधर होने के जोखिम से बचने के लिए तुरंत अपने भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में बदल दें। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निर्धारित किया है कि शेयरों के अंतरण के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक ये निक्षेपागार (एनएसडीएल/सीडीएसएल) के पास डीमेट रूप में न हो। डीमेट खाता खोलने के लिए, कृपया अधिकारिक रूप से वैध केवाईसी दस्तावेजों यथा (क) पैन (ख) आधार कार्ड (ग) पासपोर्ट (घ) मतदाता कार्ड (ङ) ड्राइविंग लाइसेन्स (च) रद्द किए गए चेक के साथ निक्षेपागार प्रतिभागी से तुरंत संपर्क करें और अपने भौतिक शेयरों को डीमेट रूप में बदलवाएँ। यदि आपके पास पहले से ही डीमेट खाता हो, तो डीमेट रूप में शेयरों को बदलने के लिए कृपया 1 रुपए के अंकित मूल्य का एसबीआई शेयर प्रमाणपत्र अपने निक्षेपागार प्रतिभागी (डीपी) को प्रस्तुत करें।

2. एक रुपए के अंकित मूल्य के शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्यविधि

दिनांक 22 नवंबर 2014 से 10 रुपए के अंकित मूल्य के शेयरों को 1 रुपए के अंकित मूल्य के 10 ईक्विटी शेयरों में विभाजित करने के परिणामस्वरूप, 1 रुपए के अंकित मूल्य के शेयर, सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गए। गलत/अपूर्ण पता, पता उपलब्ध न होने आदि के कारण डाक विभाग द्वारा लौटाए गए पत्रों के लिए हमने पंजीकृत डाक, जहां कहीं भी मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी उपलब्ध होने पर एसएमएस/ई मेल से अनुस्मारक भेज दिए हैं। हम 10 रुपए के अंकित मूल्य के भौतिक रूप में शेयर प्रमाणपत्र रखने वाले तथा 1 रुपए के अंकित मूल्य के शेयर प्राप्त न करने वाले सभी शेयरधारकों से निम्नलिखित दस्तावेज़ हमारे पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है,:

I. विधिवत भरा हुआ मूल सूचना फार्म (बीआईएफ)
II. स्वयं द्वारा सत्यापित केवाईसी की प्रतियाँ, जिनसे पहचान, पते का प्रमाण, फोटो दिखता हो।
III. पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति
IV. 10 रुपए के अंकित मूल्य का मूल शेयर प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो तो।

3. सभी सूचनाएँ एवं लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना केवाईसी डाटा अद्यतन करें

कृपया हमारे पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) जिनका पता नीचे दिया गया है, को मूल सूचना फार्म प्रस्तुत कर केवाईसी डेटा, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर एवं बैंक खाता विवरण अद्यतन करा लें। डीमेट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे सम्बद्ध निक्षेपागार प्रतिभागी से उनका अद्यतन करा लें, ताकि सूचनाएँ आसानी से प्राप्त हो सके और विप्रेषण अबाधित रूप से चले।

4. बैंक के पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत करने हेतु मूल सूचना फार्म डाउनलोड करें

मूल सूचना फार्म (बीआईएफ) को हमारी वेबसाइट https://bank.sbi/documents/17836/21502/290120-Basic+Information+Form+-+BIF.pdf. से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. प्रश्न/संदेह एवं दस्तावेज़ भेजने के लिए हेल्पलाइन

किसी भी प्रकार के प्रश्न/संदेह के लिए कृपया हमारे पंजीकरण एवं शेयर अंतरण एजेंट जिनका पता नीचे दिया गया है अथवा ऊपर दिए गए फोन नंबर/ई-मेल आईडी पर भारतीय स्टेट बैंक के निवेशक शिकायत कक्ष से संपर्क करें। विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए कृपया bank.sbi---Investor Relations---Shareholder Bondholder Information पर जाएँ।

मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205 - 208 अनारकली कांप्लेक्स, झंडेवालां एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 055,
ई-मेल: sbi.igr@alankit.com, संपर्क : 7290071335

दिनांक : 05.02.2021 भारतीय स्टेट बैंक के लिए

स्थान : मुंबई महाप्रबंधक (शेयर एवं बॉन्ड)